तीन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से निपटे 11 लाख 78 हजार से अधिक केस, सुलझाए गए 78 प्रतिशत केस

छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालतों के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन पर कार्यक्रम का आयोजन

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2023 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर में स्टेट लेवल मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक रमेश सिन्हा थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमिटी के चेयरमैन संजय के. अग्रवाल थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीशगण उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष कार्यों के मूल्यांकन और 2023 में अब तक आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्रदर्शन की सराहना करने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहली बार राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालतों की शुरूआत ने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों के घटक के रूप में न केवल एक नया अध्याय जोड़ा है, बल्कि देश की न्याय वितरण प्रणाली को एक नया आयाम प्रदान किया है। इससे पीड़ितों को उनके विवादों के संतोषजनक समाधान के लिए एक पूरक मंच मिला है। यह प्रणाली ग्राम स्वराज के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 ए के प्रावधान को बढ़ावा देने और पूरा करने का प्रयास करती है, जिसका उद्देश्य सभी को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि विवाद को बिना न्यायालय का दरवाजा खटखटाए आपस में ही सुलझा लिया जाए। गाँवों में, विवादों को हमेशा पंचायतों के पास भेजा जाता था, ताकि वे गाँव में उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय ले सकें। पंचायत व्यवस्था में पंच-मध्यस्थ और पंचायत शब्द उतना ही पुराना है जितना भारतीय इतिहास। पंचायत (पंच) के सदस्य तब पीड़ित पक्षों को आम सहमति और समझौते पर लाने के लिए बातचीत मध्यस्थता के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि एडीआर की प्रक्रिया भारत में जमीनी स्तर पर भी एक प्राचीन प्रथा के रूप में प्रचलित है। एडीआर का लाभ मुकदमेबाजी में देरी से बचने के अलावा लागत में कमी है।

मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने बताया कि राज्य में तीन राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें कुल 11,78,357 (ग्यारह लाख अठहत्तर हजार तीन सौ सत्तावन) प्रकरणों का निराकरण किया गया जिनमे से 10 लाख से ज्यादा केस प्री लिटिगेशन के थे। उन्होंने मामलों के निराकरण के लिए किए गए प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि समय के साथ लोक अदालतों ने विवादों को प्रभावी और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाकर लोगों का विश्वास हासिल किया है। प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए, लोक अदालत के प्रत्येक पीठासीन सदस्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के आधार पर एक सुलह समझौता लाने में ईमानदार प्रयास करे। विधिक सेवा प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक अदालतों का संचालन करते समय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 में निर्धारित नियमों का पालन किया जाए।

न्हा ने लोक अदालतों के पीठासीन न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की और उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। समर्पित और ईमानदार प्रयास, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, वांछित परिणाम देते हैं। उन्होंने 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाले आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अच्छे परिणामों के लिए भी प्रेरित किया। सिन्हा ने कहा कि न्यायपालिका से अनेक अपेक्षाएँ हैं, फिर भी कुछ प्रमुख क्षेत्र हमारे ध्यान के योग्य हैं। सबसे पहले कानूनी सिद्धांतों की सटीक व्याख्या और अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के लिए कानून के बारे में अपना ज्ञान और समझ बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण एवं खास

मोटरसायकलों की आमने - सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के बिलासपुर-मस्तूरी हाइवे पर दर्रीघाट में में शनिवार को हुए दर्दनाक सडक़ हादसे में दो युवकों की मौत हो गई वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये जिनका मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दर्रीघाट निवासी तिलक राम कश्यप अपने साथी सहोरिक सतनामी के साथ बाइक में सवार होकर दर्रीघाट बस्ती की तरफ जा रहे थे। वहीं सामने से सक्ती जिले के हसौद निवासी नागेश्वर साहू अपने साथी प्रफुल्ल साहू के साथ बाइक से बिलासपुर की ओर से वापस सक्ती जा रहे थे इसी दौरान दर्रीघाट के पास दोनों बाइक चालकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक चालक तिलक राम कश्यप और नागेश्वर साहू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक में पीछे सवार सहोरिक और प्रफुल्ल दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है जिन्हें उपचार के लिए मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। फिलहाल मस्तुरी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रेलर चालक से मारपीट कर डीजल लूटने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला अकलतरा पुलिस ने ट्रेलर चालक से मारपीट कर डीजल लूटने की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को धर धबोचा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 92 लीटर डीजल भी जब्त किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त होने वाले स्कार्पियों वाहन को भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित भारद्वाज 26 वर्ष, अजय भास्कर 28 वर्ष एवं शिव रजक 38 वर्ष शामिल है। ये सभी बगडबरी थाना बलौदा निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र मानेश्वर ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि छह अक्टूबर की रात्रि को अकलतरा पेट्रोल पंप के पास एक सफेद स्कार्पियों में सवार होकर तीन से चार लोग आ पहुंचे और मारपीट करते हुए ट्रेलर की टंकी से डीजल निकालकर चले गये। मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर पुलिस ने घेराबंदी कर मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बिना अनुमति सभा पर विजय शर्मा को थमाया गया नोटिस

कवर्धा (आरएनएस)। कवर्धा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा को बिना अनुमति सभा करने पर रिटर्निंग आफिसर ने नोटिस दिया है। भाजपा प्रत्याशी पर दो समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे का आरोप है। कवर्धा रिटर्निंग आफिसर सीपी कोरी ने भाजपा प्रत्याशी शर्मा से 14 अक्टूबर शाम 4 बजे तक जवाब मांगा। इस समयावधि में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि विजय शर्मा ने 11 अक्टूबर को भगवा ध्वज चौक के पास बिना अनुमति सभा की थी।

हथियार लहराने वाला आरोपी भेजा गया कारागार

कोरबा (आरएनएस)। सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अक्सर लोगों का भयादोहन करने तथा आधा दर्जन से ज्यादा संगीन अपराधों में शामिल शातिर बदमाश गणेश सागर को गिरफ्तार कर 25.27 आम्र्स एक्ट के मामले में जिला कारागार भेज दिया। जानकारी के अनुसार मोतीसागरपारा निवासी गणेश सागर उम्र 30 पिता मंगलराज सागर आए दिन मोहल्ले एवं पुरानी बस्ती तथा सीतामणी इमलीडुग्गू क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते चला आ रहा था। आचार संहिता लागू होने के बाद वरिष्ठ उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली टीआई रूपक शर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान कोतवाली में पदस्थ एएसआई अजय सिंह ठाकुर ने हमराह आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता, नवरतन सिदार, श्याम सिदार के साथ घेराबंदी कर उसे पकडक़र तलवार जब्त कर लिया।

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मिली सफलता : पत्थर से सिर में मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटो मे किया गिरफ्तार

शराब मांगने की बात पर से वाद विवाद के चलते की गई हत्या

दल्लीराजहरा (आरएनएस)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आत्माराम धाकड़े पिता स्व0 रामलाल धाकड़े उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बोरिद थाना का लडक़ा पवन कुमार धाकड़े का दिनांक 11 अक्टूबर की रात्रि करीबन 09-10 बजे से 12 अक्टूबर के प्रात: 08.00 बजे के मध्य शासकीय शराब भ_ी कुसुमकसा जाने वाले कच्ची मार्ग के किनारे परसा पेंड़ के झाडिय़ों के बीच मृत हालत में मिला जिसके सिर में पत्थर मारकर हत्या करने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 357/2023 धारा 302, 201 भादवि के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त गोलाकार पत्थर शराब की शीशी जिसमें खून लगा हुआ व मृतक पवन को रोड किनारे पत्थर पटककर हत्या करने के बाद छुपाने की नीयत से परसा पेंड़ के झाडिय़ा के पास ले जाकर पुन: ईंट के टुकड़ा से मारकर चोंट पहुंचाया है, मृतक के सिर में पत्थर पटकने से गंभीर चोंट आने के कारण हत्या करना पाये जाने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक एवं पुलिस नगर पुलिस अधीक्षक दल्लीराजहरा राजेश बागड़े के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी राजहरा मुकेश सिंह, उपनिरीक्षक उमा ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक कांता राम घिलेन्द्र एवं थाना स्टाफ व सायबर सेल बालोद प्रभारी जोगेन्द्र साहू एवं टीम व एफएसएल टीम रायपुर व डाग स्क्वाड के विशेष टीम के द्वारा अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतु मौके पर तत्काल थाना के कर्मचारी एवं सायबर सेल टीम एवं एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड के विशेष टीम के द्वारा पता तलाश करने पर कुसुमकसा के हर्ष शर्मा उर्फ बिट्टू पिता सुखदेव शर्मा उम्र 28 वर्ष के संबंध में सुराग मिलने पर से पुछताछ पर अपराध घटित करना कबूल कर बताया कि कुसुमकसा से मेन रोड जाने वाले रास्ते मे बैठ कर शराब पी रहे थे इस दौरान दोनो के बीच वाद विवाद होने से पास में रखे नुकिले पत्थर से मृतक के सिर में मारकर उसकी हत्या कर मृतक की मोटर सायकल हीरो होण्डा पैसन क्रमांक सीजी-19 बीए-5106 को आरोपी अपने घर ले गया जिसे ग्राम कुसुमकसा से बरामद किया गया है। आरोपी को दिनांक 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी- हर्ष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पिता सुखदेव शर्मा उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 04 गैरेज पारा कुसुमकसा थाना राजहरा का रहने वाला है।

ड्यूटी से लौट रहे एसईसीएल कर्मी को ट्रेलर ने लिया चपेट में, मौके पर मौत

कोरबा (आरएनएस)। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा चौराहे पर शनिवार को दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में कर्मचारी जयलाल की मौत हो गई। उसे ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। मामले की जानकारी होने पर विभागीय अधिकारी और पुलिस ने यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई। मृतक का शव अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।,गेवरा परियोजना के अंतर्गत सुरक्षा चौराहे पर आज हुए हादसे में ट्रेलर संख्या सीजी 12 बीई 6971 ने बाइक संख्या सीजी 12 एटी 0964 पर सवार जयलाल सिंह को टक्कर मार दी। यह कर्मचारी का गेवरा परियोजना में नियोजित था जो हरदी बाजार के नजदीक मलगांव का निवासी था। टेलर की चपेट में आने से कर्मचारी मौके पर गिर पड़ा।

बड़ी मात्रा में रक्तस्राव होने के कारण उसकी सांसे थम गई। घटना की जानकारी होने पर गेवरा परियोजना के महाप्रबंधक बीएस भाटी, समेत अनेक अधिकारी और पुलिस थाना की टीम यहां पहुंची। शीघ्रता से मृत कर्मचारी का शव औपचारिक कार्यवाही के लिए गेवरा के अस्पताल भेज दिया गया। चूंकि यह घटना खदान क्षेत्र के अंतर्गत हुई है इसलिए संभावना है कि मामले को जांच के लिए डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी के पास दिया जाएगा।

नवरात्रि व दशहरा के लिए गाइडलाइन जारी, दुर्गा पंडालों में बजेंगे केवल धार्मिक गाने

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। ऐसे में नवरात्रि से लेकर दशहरे का पर्व इस वर्ष आचार संहिता के साये में रहेगा।

वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। नवरात्रि में दुर्गा स्थापना, रास गरबा और मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

शुक्रवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होगा। डांडिया, रास गरबा में हर किसी की एंट्री नहीं होगी। जिनके पास, पास होंगे केवल वही लोग आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं दुर्गा पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजेंगे। नियम विरुद्ध डीजे धुमाल बजाने पर जब्ती की चेतावनी भी दी गई है। वहीं दशहरे को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दशहरे के दूसरे दिन तक प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने की निर्वाचन के सभी तैयारी की समीक्षा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की सभी तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के कंप्यूटर व्यवस्था सहित लिपिक वर्गीय, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि कर्मचारियों की ड्यूटी के संबंध में चर्चा की। डॉ सिद्दीकी ने कहा कि नामांकन फार्म सहित सभी प्रकार के प्रपत्र की उपलब्धता हो, निर्वाचन नियमावली का सभी अधिकारी कर्मचारी को जानकारी होनी चाहिए। सभी नोडल अधिकारी और प्रभारी अधिकारी अपने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें कि वहां मूलभूत सुविधाएं बिजली, पेयजल, शौचालय आदि सुचारू उपलब्ध हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा के हिसाब से आवश्यक मतदान और मतगणना कर्मचारियों का आंकड़ा तैयार करें। सभी सीएमओ नगरीय निकायों में और सभी सीईओ अपने विकासखंडों में संपत्ति विरूपण के तहत राजनैतिक व्यक्ति, दलों का विज्ञापन पोस्टर आदि को निकाले और दीवाल पेंटिंग को मिटाएं। कार्य में लापरवाही करने वाले पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि वेब कास्टिंग हेतु चयनित मतदान केंद्रों में जाकर आवश्यक इंटरनेट का परीक्षण तकनीकी सहायकों से करवाएं। उन्होंने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी), वाहन व्यवस्था, फ्लाइंग स्क्वायड, स्थाई निगरानी समिति, वीएसटी, वीडियो निगरानी समिति, प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था, कंट्रोल रूम की संपूर्ण व्यवस्था आदि के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम मोनिका वर्मा, डॉ स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी आर महेश्वरी, बी एक्का, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान सहित जिले के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

आम आदमी पार्टी ने की मतदान तिथि को आगे बढ़ाने की मांग

रायपुर (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से 17 नवंबर को होने वाले मतदान की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है।

दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि छठ पर्व और चुनाव आसपास होने से प्रदेश के मतदाता पशोपेश की स्थिति में हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए कि विधानसभा चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाई जाय। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान के दिन छठ महापर्व को देखते हुए प्रदेश की जनता दुविधा और परेशानी की स्थिति में हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि जनता की तिथि बढ़ाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए उन्हें इस समस्या से मुक्त करना चाहिए।

साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि राजस्थान में चुनाव आयोग शादियों और देव उठनी एकादशी की वजह से तारीख में बदलाव कर 23 नवंबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाकर 25 नवंबर हो सकती है तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी मामला राजस्थान प्रदेश की तरह ही जनभावना से जुड़ा हुआ है। जिस पर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन आयोग को सुनवाई करनी चाहिए। कोमल हुपेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिहार-झारखंड के लाखों परिवार रहते हैं। ऐसे में छठ पर्व के दौरान वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। जिससे प्रदेश के मत-प्रतिशत में सीधा-सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में धूमधाम से छठ त्यौहार मनाया जाता है। छठ महापर्व के कारण हजारों लोग मतदान देने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए तीराख को आगे बढ़ाने को कहा जा रहा है। निर्वाचन आयोग को मामले की गंभीरता को समझते हुए चुनाव तिथि को बदल प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में 7 और 17 नवंबर को मतदान तिथि निर्धारित की गई है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करावेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर पूजा पंडाल में चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करने के निर्देश

- **नवरात्र, दशहरा एवं दीपावली त्यौहार शांति पूर्ण मनाने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न**
- **तेज आवाज में ध्वनि विस्तार यंत्र एवं सार्वजनिक स्थानों पर डी.जे. एवं धुमाल बजाना प्रतिबंधित**
- **न्यायालय-शासन के निर्देशों का पालन करना होगा**

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देशन में आगामी नवरात्र विजयादशमी (दशहरा) एवं दीपावली त्यौहार के संबंध में दुर्गा माता की स्थापना करने वाली समितियों, गरबा आयोजक एवं समस्त डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रदीप साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की उपस्थित सभी लोगों को अवगत कराया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिये वर्तमान में लागू आदर्श आचार संहिता को देखते हुये पंडाल में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। अनाधिकृत एवं असामाजिक तत्वों से बचाव हेतु यथा संभव पण्डाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया। आयोजन समिति के सदस्यों को पण्डाल का निर्माण में विशेष ध्यान रखने एवं सार्वजनिक स्थल रोड को घेरकर नहीं बनाने के लिए कहा गया। डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमें स्वर में प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक करने की बात कही गई। साथ ही रात्रि 10 के बजे के पश्चात् ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में धुमाल जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जब्ती एवं राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में आयोजन समिति को बताया गया कि मूर्ति विसर्जन की अनुमति सिर्फ दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक होगी। रास गरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही एंट्री दिया जाए। जिससे किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति निर्मित न हो। साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालिंटियर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा पंडालों में केवल धार्मिक गानों को ही चलाए जाने का सुझाव आयोजक एवं समितियों को दिया गया। मूर्ति आगमन, स्थापना तथा विसर्जन के दौरान न्यायालय शासन के निर्देशों का पालन किया जाए। आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु समिति को निर्देशित किया गया। नवरात्रि त्यौहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडऩे वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों में दिये जाने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा नवरात्रि सहित अन्य त्यौहारों को शांति पूर्वक एवं सर्व समाज को एक साथ मिलकर मनाए जाने का आग्रह किया गया।